प्रेस विज्ञप्ति

21/8/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों, शांतेश गुरेड्डी और श्रीमती ज्योति शांतेश गुरेड्डी के विरुद्ध फेमा, 1999 की धारा 37ए (1) के अंतर्गत जब्ती आदेश जारी किया है और शांतेश गुरेड्डी और श्रीमती ज्योति शांतेश गुरेड्डी द्वारा भारत के बाहर स्थित विदेशी संपत्तियों के संबंध में उनके पास मौजूद लगभग 61.35 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

ईडी ने आयकर विभाग से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शांतेश गुरेड्डी ने अपनी कंपनी मेसर्स श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एसकेएमईपीएल) द्वारा प्राप्त निर्यात आय के एक हिस्से को कई बीवीआई कंपनियों के माध्यम से डायवर्ट करके लंदन के हेज़ म्यूज़, नंबर 09 में 6.4 मिलियन पाउंड मूल्य की अचल संपत्ति अर्जित की थी। ईडी की जाँच से पता चला कि एसकेएमईपीएल के पास कर्नाटक में लौह अयस्क खदानें थीं और इन खदानों से उत्पादित लौह अयस्क मुख्यतः चीन को बिचौलियों के माध्यम से बेचा/निर्यात किया जाता था। एसकेएमईपीएल के निदेशकों ने मेसर्स श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त लाभ/प्रोत्साहन/बोनस प्राप्त करने और इन विदेशी संस्थाओं के माध्यम से निर्यात आय के एक हिस्से को अन्यत्र भेजने के लिए विदेशी क्षेत्राधिकार में कई संस्थाएँ स्थापित की थीं। यह भी पता चला है कि मेसर्स श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने भारत के बाहर धनराशि जमा करने और अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भारत के बाहर संपत्तियां खरीदने के लिए विदेशों में कई बैंक खाते खोले थे। इसकी घोषणा भारतीय प्राधिकारियों के समक्ष नहीं की गई थी। इस प्रकार निगमित बीवीआई कंपनियों ने एसकेएमईपीएल की लौह अयस्क व्यापारिक गतिविधियों से लाभ अर्जित किया। इसकी घोषणा भारतीय अधिकारियों के समक्ष नहीं की गई। इसकी पुष्टि एसकेएमईपीएल द्वारा प्राप्त 20 करोड़ रुपये (लगभग) के निर्यात से हुई, जिसे कंपनी ने तकनीकी आधार पर बट्टे खाते में डालने का प्रयास किया था, तथा मेसर्स श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की एक अन्य सहायक कंपनी अर्थात मेसर्स कुमिनेक्स मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त 6 करोड़ रुपये (लगभग) के "एजेंसी कमीशन" से भी हुई, जिसे उन्हीं निदेशकों द्वारा केवल लौह अयस्क के निर्यात के उद्देश्य से और प्रति मीट्रिक टन शिपमेंट की बिक्री पर कमीशन अर्जित करने के लिए निगमित किया गया था।

इसलिए, मेसर्स श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क के निर्यात का लाभ उठाकर और एसकेएमईपीएल और मेसर्स कुमिनेक्स मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त लाभ/प्रोत्साहन/बोनस/निर्यात प्राप्य/एजेंसी कमीशन का उपयोग करके, शांतेश गुरेड्डी और उनकी पत्नी

श्रीमती ज्योति शांतेश गुरेड्डी ने विदेशी इकाई के नाम पर लंदन में संपत्ति अर्जित की और फिर बाद में इसे एक अन्य विदेशी इकाई को हस्तांतरित कर दिया, जिसमें शांतेश गुरेड्डी की बेटी सुश्री नीति गुरेड्डी निदेशक और शेयरधारक हैं।

इसके अलावा, शांतेश गुरेड्डी और श्रीमती ज्योति शांतेश गुरेड्डी ने FEMA, 1999 की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक और संपत्ति 116, एम्प्रेस कोर्ट, वुडिन्स वे, ऑक्सफोर्ड का अधिग्रहण/स्वामित्व/कब्जा भी किया।

इस तरह विदेशी मुद्रा अर्जित करके और भारत के बाहर संपत्तियां रखकर, शांतेश गुरेड्डी और उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति शांतेश गुरेड्डी ने कुल 70,15,000 पाउंड (लगभग 61.73 करोड़ रुपये) की राशि के लिए फेमा, 1999 की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।